रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 04, 2019/ज्येष्ठ 14, 1941

No. 339] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 04, 2019/JYAISTHA 14, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2019

सा.का.नि. 406(अ).—केंद्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (घ) और (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम सिक्का निर्माण विक्रम साराभाई जन्मशताब्दी वर्ष के अवसर पर एक सौ रुपये मूल्य के स्मारक सिक्के जारी करना नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सिक्कों का अंकित मूल्य.– "विक्रम साराभाई जन्मशताब्दी वर्ष" के अवसर पर केन्द्र सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने हेतु टकसाल में एक सौ रुपये मूल्यवर्ग के सिक्कों का निर्माण भी किया जाएगा।

3. **सिक्कों की विमाएं और संरचना.–** नियम 2 में उपर्युक्त अंकित मूल्य के सिक्के निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात् :-

सिक्के का अंकित मूल्य	आकृति और बाह्य व्यास	दांतों की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	**चतुर्थक मिश्र धातु** रजत– 50 प्रतिशत तांबा – 40 प्रतिशत

			निकल – 05 प्रतिशत जस्ता – 05 प्रतिशत

4. **डिज़ाइन.–** सिक्कों का डिज़ाइन इन नियमों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए अनुसार होगा।

5. **मानक वजन तथा अनुज्ञात छूट.– विक्रम साराभाई जन्मशताब्दी वर्ष** के अवसर के उपलक्ष्य में उपर्युक्त अंकित मूल्य के सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात छूट इन नियमों की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए अनुसार होगी।

पहली अनुसूची
(नियम 4 देखें)

(i) एक सौ रुपये

अग्र भाग

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे **"सत्यमेव जयते"** उत्कीर्णित होगा, उसकी बायीं परिधि पर देवनागरी लिपि में "**भारत**" शब्द और दायीं परिधि पर अंग्रेजी में **"INDIA"** शब्द होगा। सिंह शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक **"₹"** और अंतरराष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य **"100"** भी होगा ।

पृष्ठ भाग

सिक्के के इस भाग के मध्य में "**विक्रम साराभाई**"का चित्र होगा। सिक्के की ऊपरी और निचली परिधि पर देवनागरी लिपि में **"विक्रम साराभाई जन्मशताब्दी वर्ष"** तथा अंग्रेजी में **"VIKRAM SARABHAI BIRTH CENTENARY YEAR"** उत्कीर्णित होगा। **"विक्रम साराभाई"** के चित्र के नीचे अंतरराष्ट्रीय अंकों में वर्ष "1919-2019" अंकित होगा।

दूसरी अनुसूची
(नियम 5 देखें)

सिक्के का अंकित मूल्य	मानक वजन	अनुमत छूट	
		संघटन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	35 ग्राम	रजत में 1/500वां हिस्सा कम या अधिक अर्थात् रजत के अंश में प्रति 1000 में 498 से 502 तक का अंतर हो सकेगा ।	1/100वां कम या अधिक अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम के बीच हो सकता है ।

[एफ. सं. 02/01/2019-सिक्का]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2019

G.S.R. 406(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement.–** (1)These rules may be called the Coinage of One Hundred Rupees Coin to commemorate the occasion of Vikram Sarabhai Birth Centenary Year Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coin.**– The coin of One Hundred denomination shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of **"Vikram Sarabhai Birth Centenary Year".**

3. **Dimension and composition of coin.**– The coin of the denomination mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely: -

Denomination of coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	Circular 44 millimeters	200	**Quaternary Alloy** Silver - 50 per cent Copper -40 per cent Nickel - 05 per cent Zinc - 05 per cent

4. **Design.**– The design of the coins shall be as specified in the First Schedule to these rules.

5. **Standard weight and remedy allowed.**–The standard weight of the coin of above denomination coined to commemorate the occasion of **VIKRAM SARABHAI BIRTH CENTENARY YEAR** and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule to these rules.

First Schedule
(See rule 4)

ONE HUNDRED RUPEES

OBVERSE:
This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend **"सत्यमेव जयते"** inscribed below, flanked on the left periphery with the word **"भारत"** in Devanagri script and on the right periphery with the word **"INDIA"** in English and it shall also bear the Rupees symbol "**₹**" and denominational value "**100**" in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:
This face of coin shall bear the portrait of **Vikram Sarabhai** in the center with the inscription "**विक्रम साराभाई जन्म शताब्दी वर्ष**" in Devanagri script and "**VIKRAM SARABHAI BIRTH CENTENARY YEAR**" in English shall be written on the top periphery and lower periphery of the coin. The year "1919-2019" shall be written in international numeral at the bottom of the portrait of Vikram Sarabhai.

Second Schedule
(See rule 5)

Denomination of coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	35 Grams	1/500th plus or minus for Silver, that is to say the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100th plus or minus, that is to say weight could be 34.65 grams to 35.35 grams.

[F.No. 02/01/2019-Coin]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.